

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन

जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी अभिषेक गोयल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या / 15 / 2019 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक 09.04.2019

उनवान

1. मदनलाल पिता केशु जाति ब्राह्मण निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. रतनलाल पिता केशु जाति ब्राह्मण निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. शिवशंकर पिता केशु जाति ब्राह्मण निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. कंचन पिता केशु जाति ब्राह्मण निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. पार्वती पिता केशु जाति ब्राह्मण निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. पुष्पा पिता केशु जाति ब्राह्मण निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राधाकिशन पिता मांगीलाल बागडा जाति ब्राह्मण निवासी भोपालखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. मोहनलाल पिता मांगीलाल बागडा जाति ब्राह्मण निवासी आर्दश कॉलोनी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. श्रीमति गोपालीदेवी पत्नी चम्पालाल बागडा जाति ब्राह्मण निवासी आर्दश कॉलोनी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. बालमुकन्द पिता गुलाब बागडा जाति ब्राह्मण निवासी भोपालखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण



सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 21.05.2019

—:निर्णय:—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस बाबत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा भोपालखेडा पटवार हल्का कपासनबी तहसील कपासन की खाता संख्या 225 में स्थित आराजी संख्या 41, 48, 1013/237, कुल किता 3 स्थित है उक्त अराजीयात के चारो तरफ अप्रार्थीगण की अराजीयात स्थित है तथा हम पक्षकारान के बिच में सीमा के निशानात नही है जिससे आय-दिन सीमा बाबत विवाद रहता है अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि सीमा कें पुख्ता निशानात कराले लेकिन हर बार टालमबाजी करते है इस लिए आराजीयात जैर-बहस के चारो तरफ चारो दिशाओं कि पत्थरगढी कराना आवश्यक है। अतः पत्थरगढी कराने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के हाजिर नही आने से उनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई प्रार्थना पत्र पर बहस एक तरफा सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार कपासन को संबंधित प्रकरण में 500/- रुपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर

आदेशित किया जाता है कि मौजा भोपालखेडा पटवार हल्का कपासनबी तहसील कपासन की खाता संख्या 225 में स्थित आराजी संख्या 41, 48, 1013/237, कुल किता 3 की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे तथा कमिश्नर फिस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें साथ हि यह सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों। इस बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।



(अभिषेक गौयल)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन